अति तत्काल
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/5/2012-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 29 नवंबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 23 नवंबर, 2012 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 23 नवंबर, 2012 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23061547
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएएसईजेड, आईएसईजेड, केएएसईजेड, एमएसईजेड, एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड
9. महानिदेशक, ईपीसीईएस
10. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीएसओ / अपर सचिव(एमपी) के पीएसओ / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीपीएस / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 23 नवंबर, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 23 नवंबर, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) हुई। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों, विशेष रूप से श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, जिन्होंने हाल ही में वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव (एसईजेड/ईओयू) के रूप में ज्वॉइन किया, का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने श्री अनूप वधावन, पूर्व संयुक्त सचिव (ईओयू) के योगदान को भी अनुमोदन बोर्ड के रिकार्ड में प्रस्तुत किया। इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

5.1 : 14 सितंबर, 2012 को आयोजित बीओए की चौथी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 14 सितंबर, 2012 को आयोजित बीओए की चौथी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

5.2 : मैसर्स जनरल मोटर्स – टेस्टिंग के प्रयोजनार्थ कारों का आयात

अनुमोदन बोर्ड ने ईओयू में टेस्टिंग के प्रयोजनार्थ दो कारों – एक पुरानी और एक नई – के आयात की अनुमति प्रदान करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयातित कारों का प्रयोग ईओयू द्वारा केवल टेस्टिंग के लिए किया जाएगा तथा किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूनिट के प्रस्ताव की स्पष्ट शर्तों के अनुसार वाहनों का निस्तारण भी करना होगा।

5.3 : मैसर्स जॉली फ्लेक्स – एलओपी में थर्मोप्लास्टिक होज को शामिल करना

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के एलओपी में रबर आधारित मदों के अलावा थर्मोप्लास्टिक होज को शामिल करने के लिए मैसर्स जॉली फ्लेक्स के अनुरोध पर विचार किया तथा विचार करने के बाद उसे मंजूरी प्रदान की।

5.4 : मैसर्स जेजे आर्थोडोंटिक्स – फायर आर्म्स (सेफ्टी कैच स्लाइड, पिस्टल ग्रिप बेस आदि) के पार्ट्स को शामिल करने के लिए ब्राडबैंडिंग

अनुमोदन बोर्ड ने फायर आर्म्स (सेफ्टी कैच स्लाइड, पिस्टल ग्रिप बेस आदि) के पार्ट्स को शामिल करने के लिए मैसर्स जेजे आर्थोडोंटिक्स के अनुरोध पर विचार किया तथा विचार-विमर्श के बाद गृह मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा अन्य विनियामक एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति के अधीन उसे मंजूरी प्रदान की।

5.5 : मैसर्स कोस्टविन इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड – डीटीए से ईओयू में परिवर्तन

बोर्ड ने नोट किया कि यह यूनिट वर्तमान में पैकेजिंग माड्यूल के विनिर्माण में शामिल है। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने ईओयू के रूप में निगमन के लिए यूनिट द्वारा सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.7 के अनुसार ईओयू में डीटीए यूनिट को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

5.6 : मैसर्स कर्ण एयरो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स के विनिर्माण और निर्यात के लिए विशेष लाइसेंस

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट को एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स तथा अस्सेसरी के विनिर्माण और निर्यात के लिए 26 फरवरी, 2007 को एलओपी जारी किया गया था। वर्तमान प्रस्ताव एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स के विनिर्माण और निर्यात के लिए विशेष लाइसेंस के लिए अनुरोध है। यूनिट ने पिछले पांच वर्षों में पॉजिटिव एनएफई का प्रदर्शन किया है। विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रक्षा उत्पादन विभाग, नागर विमानन विभाग, अंतरिक्ष विभाग सहित औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों / विभागों से अनुमोदन के अधीन विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.7 के प्रावधानों के अनुसार यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, विशेष रसायनों, सामग्रियों, अवयवों, उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के निर्यात के लिए मानदंडों के तहत यूनिट द्वारा आवश्यक अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा।

5.7 : मैसर्स जैन ग्रेनी मारमो प्राइवेट लिमिटेड – डीटीए में मार्बल के स्क्रैप / रिजेक्ट के निस्तारण के लिए अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ईओयू यूनिट ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 के तहत डीटीए में मार्बल की ऐसी बिक्री पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए डीटीए में मार्बल के स्क्रैम / अपशिष्ट की बिक्री / निस्तारण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मार्बल के लिए डीटीए में बिक्री के प्रावधानों के अभाव में निर्यात के लिए अयोग्य ऐसे मार्बल रिजेक्ट तथा इसके अपशिष्ट और स्क्रैप ईओयू के परिसर में संचित हो रहे हैं। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि मद के लिए निर्धारित एसआईओएन के अधीन विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) और (ड.) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मार्बल अपशिष्ट / स्क्रैप का निस्तारण किया जा सकता है। एसआईओएन के अभाव में ऐसा निस्तारण विकास आयुक्त, एसईजेड तथा सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित आयुक्त की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन के अधीन इनपुट मात्रा के दो प्रतिशत तक सीमित होगा।

5.8 : मैसर्स टेवा एपीआई इंडिया लिमिटेड – परीक्षण की सेवाओं के लिए ईओयू की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव निर्यात के लिए कच्चे माल / पैकेजिंग सामग्री के लिए परीक्षण सेवा प्रदान करने हेतु विश्लेषण लैब स्थापित करने के लिए है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.7 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी की मांग की गई है। विकास आयुक्त की सिफारिश के आलोक में तथा बैठक में विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

5.9 : मैसर्स सरला पॉलिस्टर लिमिटेड – पिछले वर्षों के निष्पादन के आधार पर मासिक आधार पर डीटीए बिक्री की अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विदेश व्यापार नीति (एचबीपी का परिशिष्ट 14-1-एच) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी यूनिट तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर डीटीए बिक्री का विकल्प चुन सकती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की।

5.10 : मैसर्स ग्रैनूल्स इंडिया लिमिटेड – डीटीए से ईओयू में परिवर्तन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट वर्तमान में बल्क ड्रग (एपीआई और पीएफआई) का विनिर्माण कर रही है और पिछले वर्ष में उसका टर्नओवर 96 करोड़ रुपए है। विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त की सिफारिशों के आलोक में तथा विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.7 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

निजी सुनवाई के लिए अपील के मामले

5.11 : मैसर्स बिग बैग्स (सीएसईजेड) – सीएसईजेड ने ईओयू को निजी तौर पर सुनने के लिए हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया है

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए यूनिट को आमंत्रित किया गया। तथापि, निजी सुनवाई के लिए यूनिट का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और इसके स्थान पर यूनिट से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उसके निदेशक निजी सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ हैं और सुनवाई के लिए कोई अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5.12 : मैसर्स प्रयास ऊलन्स (केएएसईजेड) – 30 सितंबर, 2012 के बाद उनके एलओपी की अवधि बढ़ाने की अनुमति न दिए जाने के निर्णय के विरूद्ध निजी सुनवाई के लिए अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 30 सितंबर, 2012 के बाद इस यूनिट में एलओपी की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर 14 सितंबर, 2012 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था और मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी। यूनिट को निजी तौर पर अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। बोर्ड द्वारा मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। तथापि, अनुमोदन बोर्ड अपने पिछले निर्णय में दखल देने से इंकार कर दिया और तदनुसार अपील का निस्तारण किया गया।

5.13 : मैसर्स जैनेक्स (एनएसईजेड, नई दिल्ली) द्वारा उनके एलओपी को निरस्त किए जाने के विरूद्ध निजी सुनवाई हेतु अपील

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को सुना। डीजीईपी से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला विकास आयुक्त, एनएसईजेड के पास वापस भेज दिया गया।

***

भाग-2

अनुमोदन बोर्ड ने 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्तों/यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित अनुमोदनों की पुष्टि की

(क)	जुलाई से अक्टूबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एफएएसईजेड
(ग)	अगस्त और सितंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(घ)	जुलाई से सितंबर, 2012 की अविध के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ङ)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एमएसईजेड
(च)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एनएसईजेड
(छ)	24 अगस्त, 2012 से 31 अक्टूबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	1 अगस्त, 2012 से 30 सितंबर, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	श्री एस आर राव, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2	श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग	
3	श्री नजीब शाह, महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग	
4	डा. ए के पुजारी, डीजीएफटी	
5	श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव	
6	श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग	सदस्य सचिव
7	श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड और सीएसईजेड	
8	श्री जयंत मिश्रा, विकास आयुक्त, केएसईजेड	
9	श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, केएसईजेड	
10	श्री अनिल बाम्बा, विकास आयुक्त, केएएसईजेड	
11	श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड – एसईजेड	
12	श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड	
13	श्री मनोज कुमार अरोड़ा, अपर निदेशक, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग	
14	डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी	
15	डा. एस के साहू, उप निदेशक (ईपी), एमएसएमई	
16	सुश्री दीपशिखा शर्मा, अवर सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग	
17	श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग	

***